A2/7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–02 / 2013 वर्षः– 2013

पीठासीन अधिकारीः– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय श्री गंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर 2/13

बनाम

1. विजय गोयल मालिक सादुलशहर गैस सर्विस, सादुलशहर।
2. विजय सेतिया पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण दास नि. वैलकम विहार श्रीगंगानगर।

अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

।। निर्णय ।। दिनांक 16/6/17

1. प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय श्री गंगानगर द्वारा इस्तगासा हाजा पेश किया गया कि दिनांक 31.10.2013 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार गंगा पैलेस गगन पथ, श्रीगंगानगर में व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में अवैध उपयोग, बिना खरीद बिलों के सिलेण्डरों की जांच हेतु पहुंचे। मौका पर गंगा पैलेस के बाहर 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर रखे मिले। सिलेण्डरों के साथ गैर सायल नं0 2 खडे मिले जिन्होने सभी सिलेण्डर सादुलशहर से लेकर आना बताया। गैर सायल ने बताया कि उन्होने 12 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर दि. 3.10.2013 को सादुलशहर गैस सर्विस से लिये हैं व 3 व्यावसायिक गैर सिलेण्डर मेरे हैं। दौराने जांच पाया गया कि इन गैस सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज गैर सायल के पास नहीं है। मौका पर गैर सायल द्वारा 12 सिलेण्डरों के बिल दिखाये जो जांचे गये व पाया कि उनके पास 4 रिफिल वाउचर हैंजो 3–3 व्यावसायिक सिलेण्डरों के हैं। उसमें से केवल एक रिफिल वाउचर असल है शेष उसी की डुपलीकेट कापियां हैं। सभी 15 गैस सिलेण्डरों को तुलवाया गया। 12 सिलेण्डरों में 19 किलो गैस के स्थान पर 100 ग्राम से 4.7 किलोग्राम तक गैस कम पाई गई। गैस ऐजेन्सी द्वारा 3 सिलेण्डरों के बिल पर 12 गैस सिलेण्डरों का बेचान करना प्रथम दृष्टया ऐजेन्सी द्वारा अवैध रूप से घरेलु गैस से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में गैस भरना प्रतीत होता है। अतः जब्त किये गये उक्त 15 सिलेण्डरों को राजसात करने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। उनकी ओर से श्री निर्मल कुमार गोयल, श्री देवेन्द्र भारद्वाज व श्री कृष्ण राम एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई।

4. वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रत्युतर पेश किया गया व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वर्णित किया कि कुल 15 में से 12 सिलेण्डर सादुलशहर गैस सर्विस से लिये गये जिसका रिफिल प्राप्ति का कैश मीमो 30.10.13 हिना रिसोर्ट के नाम से है। शेष 03 सिलेण्डरों के दस्तावेजात अप्रार्थी संख्या 2 के पास हैं या नहीं अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 से बरामद 15 सिलेण्डरों में से 12 सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह कहकर अप्रार्थी संख्या 01 से लिये थे कि गदर खेडा में उनका हिना रिसोर्ट है जिसमें विवाह शादियों का कार्यक्रम होता है। 12 सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने वाहन से श्रीगंगानगर लाये गये हैं जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 की जिम्मदारी नहीं है। 12 सिलेण्डरों के रिफिल वाउचर कम्पयूटर में तकनीकी खराबी होने के कारण चारों कापियां एक नम्बर की प्रिंट हो गई थी इस पर अप्रार्थी संख्या 01 तुरन्त ही कम्पयूटर में तकनीकी खराबी होने के कारण अपने हस्तलिखित 4 वाउचर 3–3 सिलेण्डरों के लिय दिनाक 30.10.13 को जारी कर अप्रार्थी संख्या 2 को सौंप दिये। गैस कम होने की बनाई गई फर्द तल पट्टी गलत व मिथ्या है। उनका अतिरिक्त कथनों के तहत कथन है कि हिन्दुस्तान कार्पोरेशन मुम्बई के अनुसार 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेण्डर को अघरेलु की श्रेणी में रखा गया है। इसका सप्लाई ऐरिया भी निर्धारित नहीं है। घरेलु गैस के लिये अनुबंध वितरक के

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

2/13 अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर A2/8

साथ किया जाता है लेकिन अघरेलु गैस के लिये किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जाता। अप्रार्थी का कोई अपराध नहीं बनता।

.5 अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रत्युतर प्रस्तुत किया गया कि इस्तगासा मनघडंत है। अप्रार्थी द्वारा 12 गैस सिलेण्डर सादुलशहर से ही प्राप्त किये थे व बाकी 3 अप्रार्थी के हिना रिसोर्ट के हैं। जिनके वैध दस्तावेज हैं। अप्रार्थी का कैटरिंग का कारोबार है। वास्तव में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 15 में से 12 सिलेण्डर अप्रार्थी सं0 1 से जरिये रिफिल वाउचर प्राप्त किये थे, रिफिल वाउचर में कम्पूटर में खराबी होने के कारण हस्तलिखित वाउचर्स जारी किये गये थे। प्रार्थी संख्या 2 के पुत्र की शादी गंगा मैरिज पैलेस गंगानगर में दिनाक 6.11.2013 को थी। इस कारण 15 व्यावसायिक सिलेण्डर एकत्र किये थे। उक्त सिलेण्डर बिना वैध बिल अथवा दस्तावेजात के पाये गये हों यह अस्वीकार्य है।

6. विभागीय पैरोकार जिला रसद कार्यालय द्वारा प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व जब्तशुदा 15 गैस सिलेण्डरों को राजजात करने का निवेदन किया। इसके विरोध में वकील अप्रार्थीगण जवाबात में दर्ज तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में लाकर व्यक्त किया कि जब्त किये गये सिलेण्डरों के वैद्य दस्तावेजात नहीं हैं अतः इन्हे राजसात किया जावे।

7. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभागीय पैरोकार द्वारा उक्तानुसार 12 गैस सिलेण्डर एक रिफिल वाउचर संख्या 3000017029, 7500000079236000(12397) पर हिना रिसोर्ट गद्दर खेडा सादुलशहर के नाम से कटे हैं व बरामद शुदा शेष 03 वाउचर उसकी प्रतियां होना बताया गया है। राजकीय पैरोकार द्वारा जाहिर किया गया है कि सिलेण्डरों में प्रा. पत्र में वर्णितानुसार कम गैस पाई गई अतः अन्देशा जाहिर किया गया है कि इन्हें घरेलु अनुदानित गैस सिलेण्डरों से व्यावसायिक सिलेण्डरों में भरा गया है। शेष 03 व्यावसायिक सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपने पुत्र की शादी के लिये लेना बताया है। इस उपयोग के लिये व्यावसायिक सिलेण्डर रखना अवैध नहीं माना जा सकता।

8. दौराने बहस सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्राथमिकी संख्या 647/13 थाना जवाहरनगर व अंतिम रिपोर्ट(एफ.आर.)दिनांक 03.01.14 की प्रमाणित प्रति पेश की व कहा कि समान तथ्यों पर आधारित दो कार्यवाहियां नहीं की जा सकती। थाना द्वारा एफ आर अदम वकू (मामला झूठा) पाया गया है।

9. यह तथ्य सही है कि कि मात्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि घरेलु गैस सिलेण्डरों से अघरेलु गैस सिलेण्डरों को भरा गया है। इस संबंध में ऐसे उपकरणों की जब्ती भी आवश्यक है जिनसें गैस भरी गई हो। कम वजन के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सिलेण्डरों को अनुदानित से व्यावसायिक में भरा गया है।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त जब्त सिलेण्डरों को अवैध रखने के संबंध में साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः कार्यवाही हाजा समाप्त की जाती है। जब्त शुदा सिलेण्डर 12 सादुलशहर गैस ऐजेन्सी व 3 सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 2 विजय सेतिया को लौटाये जावें।

11. निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जाये।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर